

TO PUBLISHED IN PART II SECTION 3 (ii) OF THE GAZETTE OF INDIA

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF REVENUE
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

NEW DELHI, THE *2nd July* 1999

NOTIFICATION
(INCOME TAX)

S.O. NO. In exercise of the powers conferred by the sub-clause (iv) ^{clause} of (23C) section 10 of the Income tax Act, 1961(43 of 1961), the Central Government hereby notifies the "Adult Training Centre(Trust) for the Blind, Ahmedabad" for the purpose of the said sub-clause for the assessment years 1995-96 to 1997-98 subject to the following conditions, namely:

- (i) the assessee will apply its income, or accumulate for application, wholly and exclusively to the objects for which it is established;
- (ii) the assessee will not invest or deposit its funds (other than voluntary contributions received and maintained in the form of jewellery, furniture etc.) for any period during the previous years relevant to the assessment years mentioned above other wise than in any one or more of the forms or modes specified in sub-section (5) of Section 11;
- (iii) this notification will not apply in relation to any income being profits and gains of business, unless the business is incidental to the attainment of the objectives of the assessee and separate books of accounts are maintained in respect of such business.

S. Bhadra
(SAMAR BHADRA)
UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

NOTIFICATION NO. *11009*

(F.NO. 197/36/98-ITA.I)

To

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri Industrial Area,
(Near Rajouri Garden), New Delhi.

भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3(1) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 23 जुलाई, 1977

अधिसूचना

आय-कर

महाराष्ट्र सरकार आयकर अधिनियम, 1961 § 126A का धारा 10 के खण्ड 123-ग§ के उपखण्ड § 1/§ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार "महाराष्ट्र स्टूडेंट ट्रेनिंग सेंटर ट्रस्ट फार द ब्लाईंड, अहमदाबाद" को कर निर्धारण वर्ष 1975-1976 से 1977-1978 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन करों के लिए उप-खण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

1. कर-निर्धारित उसकी आय का इस्तेमाल अथवा उसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है;

2. कर निर्धारित उसर उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ति वर्षों की निरति भी अधि के दौरान धारा 11 की उपधारा § 5 में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक तंग अथवा तरीकों से निम्न तरीकों से उसकी निधि (केसर, कर्ताहरकत, फर्चिअर अथवा किसी अन्य वस्तु, के रूप में प्राप्त तथा रखाव में रक्तेन्द्रक अंशदान से निम्न § का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा करता सकेगा;

3. यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी, जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलेख हो, जब तक कि ऐसा कारोबार स्वतः कर-निर्धारित के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों।

आवक्या सं० 11009

समरम
संवर मद्र
अवर सचिव, भारत सरकार

§ 10 सं० 197/36/78 - आ.क.नि. II

आ. में,
प्रकाशक